

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।  
पत्रांक- २०७/११-सी-अलीगढ़/१४१३१/२०१५, लखनऊ, दिनांक: जुलाई २८, २०२०

सेवा में,


वन संरक्षक,  
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषय:- अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-१०५) किमी० चैनेज ९.१०० के दायीं पटरी पर ग्राम-हरदुआगंज के खसरा सं०-१७६ में एस्सार ऑयल लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु ०.०७८३ हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित ०१ वृक्ष के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक-१४७२/११सी-अलीगढ़/१४१३१/२०१५ दिनांक २२.०१.२०१९ एवं आपका पत्रांक-२१६/१४-१ दिनांक २१.०७.२०२० महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयगत प्रकरण से सम्बन्धित प्रस्ताव आपके संदर्भित पत्र दिनांक २१.०७.२०२० द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है, जिसका परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में निम्नलिखित कमी/अभिलेखों का आभाव पाया गया:-

१- दण्डात्मक स्वरूप जमा की जाने वाली धनराशि की गणना संलग्न की गयी है, किन्तु गणना भारत सरकार के पत्र दिनांक २९.०१.२०१८ में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नहीं की गयी है जोकि त्रुटिपूर्ण है।



(पंकज मिश्र)


मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या-२०७/११-सी अलीगढ़/१४१३१/२०१५, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, अलीगढ़।

२- डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लिमिटेड, ए-५ सेक्टर-३, नोएडा।



(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

oll